

(Online No. 2022/97)

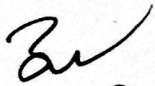
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री पृथ्वीराज खारोल वगै. बनाम श्री उदयराम खारोल वगै.

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 65 / 2022

09.02.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-65/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री पृथ्वीराज पिता नन्दराम खारोल निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
2. श्री भगवान लाल पिता मांगी लाल खारोल निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
3. श्री माधव लाल पिता मांगी लाल खारोल निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1 श्री उदयराम पिता गुलाब खारोल निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
- 2 श्री नारायण पिता नानू खारोल निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
- 3 श्री बालू पिता हजारी खारोल निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
- 4 श्री मांगू पिता हजारी खारोल निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
- 5 श्री लादू सिंह पिता नाथू सिंह राजपूत निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
- 6 श्री भैरु पिता डालू जाट निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
- 7 श्री मोहन पिता कजोड़ नाई निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
- 8 श्री रतन पिता बक्षू ढोली निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
- 9 श्रीमति नानू देवी पत्नी नारायण खारोल निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
- 10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज.।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 09.02.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगवा प0ह0 सांगवा भू0अ0नि0 कारोईकलां में स्थित आराजी नम्बर 1844/1 रकबा 0.5690 हैक्टयर आराजी नम्बर 2274/1877 रकबा 0.2529 हैक्टयर आराजी नम्बर 2275/1877 रकबा 0.2529 हैक्टयर आराजी नम्बर 1864 रकबा 0.2655 हैक्टयर आराजी नम्बर 1865 रकबा 1.0495 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 2.3898 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 ग्राम सांगवा प0ह0 सांगवा भू0अ0नि0 कारोईकलां में स्थित आराजी नम्बर 1844/1 रकबा 0.5690 हैक्टयर आराजी नम्बर 2274/1877 रकबा 0.2529 हैक्टयर आराजी नम्बर 2275/1877 रकबा 0.2529 हैक्टयर आराजी नम्बर 1864 रकबा 0.2655 हैक्टयर आराजी नम्बर 1865 रकबा 1.0495 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 2.3898 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।  
अतःएवं

### // आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगवा प0ह0 सांगवा भू0अ0नि0 कारोईकलां में स्थित आराजी नम्बर 1844/1 रकबा 0.5690 हैक्टयर आराजी नम्बर 2274/1877 रकबा 0.2529 हैक्टयर आराजी नम्बर 2275/1877 रकबा 0.2529 हैक्टयर आराजी नम्बर 1864 रकबा 0.2655 हैक्टयर आराजी नम्बर 1865 रकबा 1.0495 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 2.3898 हैक्टयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 500/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक कारोईकलां 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 कारोईकला जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा